बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक–प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 04 पटना, दिनांक 6159151 9-7-14

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,(रा0उ0प0 सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता, (रा0उ0प0 सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता, (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः **निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांक–680(एस) दिनांक 23.01.2006 एवं 4919(एस) दिनांक 13.05.2006**

महाशय,

1. पथ निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है एवं कार्य के प्रकार के अनुसार Bidding documents भी निर्धारित है जैसे :–

1.1 लम्बी अवधि तक Output and Performance आधारित पथ अनुरक्षण कार्य के लिए Model Bidding Document (MBD)

1.2 उन्नयन / निर्माण के साथ लम्बी अवधि तक Output and Performance आधारित पथ अनुरक्षण कार्य के लिए Construction cum maintenance bidding document(CMBD)

1.3 अन्य योजनाओं जिनमें मरम्मति का प्रावधान न हो एवं प्राक्कलित राशि ₹2.00 करोड़ से अधिक हो, के लिए Standard Bidding Document (SBD)

1.4 ₹50.00 लाख से उपर तथा ₹2.00 करोड से कम प्राक्कलित राशि के कार्यों हेतु विहित शर्त्तों एवं two बीड प्रक्रिया के अधीन F_2 आधारित एकरारनामा।

1.5 राष्ट्रीय उच्च पथ की ₹5.00 करोड़ एवं उससे उपर की योजनाओं के लिए भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्य Bidding Document यथा (Central) SBD एवं अन्य Bidding Document.

2. निविदाओं के निष्पादन में समरूपता बनाये रखने तथा इसके निष्पादन में किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति एवं समय–समय पर जन प्रतिनिधियों, संवेदकों, नागरिकों एवं अन्य महानुभावों से प्राप्त शिकायतों / grievances से बचने के लिए निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

3. पूर्व से चली आ रही प्रक्रियाओं में आंशिक संशोधन की आवश्यकता के मद्देनजर सम्यक् विचारोपरान्त निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को और सरल एवं और पारदर्शी बनाने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए जाते है :–

3.1 निविदा निष्पादन के लिए जिस स्तर के लिए जितनी अवधि निर्धारित है, उसी समय सीमा के अधीन विहित प्रक्रिया के साथ निष्पादन सुनिश्चित किया जाये।

3.2 निविदा की तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड खोले जाने की अग्रिम सूचना सभी निविदादाताओं को निश्चित रूप से दी जाये।

3.3 निविदाओं की तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड निर्धारित तिथि एवं समय पर यथासंभव निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जाये एवं उनकी उपस्थिति एक पंजी में दर्ज की जाये (e-tendering में यह आवश्यक नहीं होगा)।

3.4 तकनीकी बीड का मूल्यांकन, तकनीकी बीड के खोलने की तिथि से अधिकतम 3 (तीन) दिनों के भीतर निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाए और सभी आवश्यक कागजात एवं प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर लिये जाये। यदि निविदाओं की संख्या कम हो तो तकनीकी बीड का मूल्यांकन बीड खुलने की तिथि को भी सम्पन्न किया जा सकता है। अग्रधन के सत्यापन की प्रत्याशा में तकनीकी बीड के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है परन्तु तकनीकी बीड के अन्तिम मूल्यांकन के पूर्व सत्यापन करा लेना अनिवार्य होगा।

3.5 तकनीकी बीड पर आवश्यक निर्णय लेने के पश्चात् 3(तीन) दिनों के भीतर वित्तीय बीड खोला जाये और सभी सफल निविदादाताओं को सूचित करते हुए, वित्तीय बीड पर विचार कर निविदा आवंटित करने की कार्रवाई की जाये।

3.6 यदि प्रथम न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता के साथ किसी बिन्दु पर विमर्श या वार्त्ता आवश्यक हो तो उसी दिन कर ली जाय।

3.7 तकनीकी बीड के मूल्यांकन में विभागीय पत्रांक 12876 (एस0) दिनांक 17.11.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3.8 निविदा निष्पादन के संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9979 (एस0) दिनांक 29.07.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. निविदाओं के तकनीकी बीड का निष्पादन निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा –

4.1 वैसी निविदायें जिनकी प्राक्कलित राशि अधीक्षण अभियंता की वित्तीय सक्षमता (₹70.00 लाख तक) के अधीन हो –

4.1.1 प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड का मूल्यांकण एवं निर्णय हेतु अंचल स्तर पर गठित समिति का स्वरूप निम्नवत होगा :–

- अधीक्षण अभियंता — अध्यक्ष
- अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार — सदस्य
- संबंधित कार्यपालक अभियंता — सदस्य

4.1.2 निविदा के तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही में निर्णय एवं निर्णय की पृष्ठभूमि का कारण एवं सार दर्ज रहेगा। यदि किसी निविदादाता की निविदा खारिज होती है तो उसका कारण उल्लेखित किया जायेगा।

4.1.3 कार्यवाही पर समिति के सभी पदाधिकारियों का हस्ताक्षर होगा तथा वह योजना के अभिलेख का स्थायी हिस्सा रहेगी।

4.2 मुख्य अभियंता की वित्तीय सक्षमता (₹70.00 लाख से उपर ₹3.50 करोड़ तक) में आने वाली निविदा –

4.2.1 प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर मूल्यांकण एवं निर्णय हेतु उपभाग के स्तर पर गठित समिति का स्वरूप निम्नवत होगा :–

• मुख्य अभियंता	अध्यक्ष
• संबंधित मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा0)	सदस्य
• संबंधित अंचल के अधीक्षण अभियंता	सदस्य
• संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता	सदस्य

4.2.2 शेष प्रक्रिया उपरोक्त कंडिका–4.1.2 एवं 4.1.3 के अनुसार निरूपित होगा।

4.3 ₹3.50 करोड़ से उपर की निविदायें जिनका निष्पादन निविदा समिति के माध्यम से किया जाता है :–

4.3.1 ऐसी निविदाओं के तकनीकी बीड के मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु गठित तकनीकी समिति का स्वरूप निम्नवत होगा :–

• संबंधित मुख्य अभियंता	अध्यक्ष
• मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा०)	सदस्य
• संबंधित अधीक्षण अभियंता	सदस्य

4.3.2 शेष प्रक्रिया उपरोक्त कंडिका–4.1.3 के अनुरूप की जायेगी। कार्यवाही पर इस समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर होगा।

4.3.3 तकनीकी बीड मुल्यांकन के बाद, समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। तकनीकी बीड मुल्यांकन की कार्यवाही पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.3.4 विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित की जाने वाली एकल निविदा तथा क्रय समिति से संबंधित मामले में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।

4.3.5 वित्तीय बीड का तुलनात्मक विवरणी कार्यपालक अभियंता उचित माध्यम से अभियंता प्रमुख को समर्पित करेंगे जिसे अभियंता प्रमुख विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

4.4 राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित कार्य जिनकी निविदाएं सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के Bidding document पर प्राप्त की जाती है, के तकनीकी बीड का मूल्यांकन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में ही किया जाय।

5. वित्तीय बीड को खोलने एवं उसके निष्पादन में निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाय –

5.1 किसी निविदा की तकनीकी बीड के निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर वित्तीय बीड पर निर्णय लिया जाय।

5.2 वित्तीय बीड पर निर्णय के समय सक्षम स्तर पर हुई तकनीकी समिति के निर्णय की कार्यवाही उपलब्ध रहेगी।

5.3 वित्तीय बीड पर विचारण की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना सभी सफल निविदादाताओं को दी जाय।

5.4 वित्तीय बीड के निर्णय की एक कार्यवाही निश्चित रूप से बनाई जाय, जो अभिलेख का हिस्सा होगा।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि सभी स्तर पर उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि विभागीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति लायी जा सके।

उपर्युक्त कंडिकाओं के संबंध में पूर्व से निर्गत एवं प्रासंगिक पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पत्रांक–प्र06/द0बि0–नियम–03–02/04 6159(5) पटना, दिनांक 9-7-14

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Soft copy की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पत्रांक–प्र06/द0बि0–नियम–03–02/04 6159(5) पटना, दिनांक 9-7-14

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– प्र06/द0बि0–नियम–03–02/04 6159(5) पटना, दिनांकः– 9-7-14

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
08/7/2014